भारत INDIA भारत INDIA भारत INDIA भारत INDIA

पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग - 3137 - PBR/16

प्रकरण कमांक: /16/PBR/ निगरानी

भरोसी लाल पुत्र श्री विलासीराम निवासी ग्राम सुपावली परगना व जिला ग्वालियर

——— निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

——— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर पारित प्रकरण कमांक 490/14–15 अपील पारित आदेश दिनांक 20–07–2016

1.9.16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3137–पीबीआर/2016 [मरालीलाल / शासन] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.10.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 20–7–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि सम्बत् 2007 में आवेदक के प्रश्नाधीन भूमि पर मोरूषी कृषक संबंधी आदेश की प्रविष्टि एवं सम्वत् 2018 लगायत 2025 तक प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज किया, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि विचारण न्यायालय सहित इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी है । इसके अतिरिक्त जमींदारी समाप्ति के पश्चात् ऐसी विभिन्न भूमियॉ जो किसी काश्तकार के कब्जे में नहीं थी, शासकीय घोषित की जा चुकी है और लगभी 40 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत आवेदक द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील अग्राह्य करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	